



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:-rvres.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(0)

क्रमांक: एफ 1 (24) (12) लेखा / अनु. / आकाशि/ पार्ट 1/

दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 3(8) शिक्षा-4/1998 दिनांक 19.5.2001 एवं कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 5(2)कार्मिक/क-2/10 जयपुर दिनांक 29.11.2010 के अन्तर्गत आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में की गई अनुशंषा के क्रम में निम्नलिखित RVRES व्याख्याताओं को कैरियर एडवॉसमेंट योजनान्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

GRANT OF SENIOR SCALE OF RVRES LECTURERS				
S. No.	Name of Lecturer	Subject	DOB	Eligibility Date for Senior Scale
1	Baljinder Pal	Economics	06-04-1960	06-08-2004
2	Chetan Das Swami	Hindi	04-03-1957	01-09-2002
3	Chetna Tikkiwal	Drawing & Painting	07-11-1971	24-11-2002
4	Dev Raj Jhahria	Agricultural Economics	11-02-1968	14-10-2003
5	Gurmeet Singh	English	27-12-1969	02-09-2005
6	Hemlata Sharma	Sanskrit	15-10-1973	22-11-2003
7	Isha Sharma	Hindi	17-06-1969	01.01.2000
8	Kamal Dev Choudhary	Maths	05-07-1967	23-07-2002
9	Meena Goyal	Sanskrit	01-12-1957	23-01-2003
10	Pitamber Sharma	Agricultural Extension	02-10-1968	14-10-2003
11	Rajeev Sharma	Drawing & Painting	05-06-1967	05-08-2000
12	Rajendra Singh Achra	Geography	10-07-1964	01-01-2002
13	Rajesh Naruka	History	04-01-1972	28-02-2006
14	Rajeshwari Devi Rathore	History	16-12-1970	13-12-2005
15	Ram Kishor Swami	Hindi	15-01-1975	24-11-2004
16	Satyajeet Jaitly	English	01-07-1964	27-07-1998

नोट:-

- उक्त व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान का भुगतान वित्त विभाग (RULES DIVISION), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F14(1)FD/Rules/2009 Jaipur Dated- 19-09-2022 के अनुसार देय होगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
Signature Valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.24 19:55:05 IST
Reason: Approved



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित प्राचार्य को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिकों के सेवाभिलेख की जांच करते हुए नियमानुसार वेतन स्थिरीकरण महाविद्यालय स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित अधिकारी।
8. वेबसाईट प्रभारी कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.24 19:55:05 IST
Reason: Approved

